

न्यायालय समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

बलराम व अन्य

पुनर्स्थापन-0592/2019/भोपाल/भूमि

प्र0कं0 4924/पीबीआर/17

आवेदकगण

विरुद्ध

9-5-19 - P.O.

श्री सी.एम. विश्वकर्मा  
श्री. ए.एम. विश्वकर्मा  
श्री. ए.एम. विश्वकर्मा

मेसर्स नुपुर बिहार कालोनी प्रो. बलवीर सिंह

अनावेदक

:: आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-35(3) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 ::

महोदय,

9-5-19

सेवा में आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन हैं कि :-

01. यह कि उक्त प्रकरण आज अनावेदक को सूचनार्थ हेतु पेशी नियत हैं ।
02. यह कि चूंकि रीडर महोदय ने आवेदक के अधिवक्ता को बताया कि प्रकरणों में 1:00 बजे के बाद रिकार्ड प्राप्त एवं सूचना हेतु प्रकरणों में पेशी दी जावेगी ।
03. यह कि आवेदक के अधिवक्ता 1:00 बजे के बाद पेशी लेने हेतु उपस्थित हुये तो रीडर महोदय ने बताया कि उक्त प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया हैं ।
04. यह कि उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक अनावेदक को कोई सूचना नहीं हो पाई हैं ना ही अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित हुआ हैं ।
05. यह कि आवेदकगण पेशी पर समय 2:00 बजे उपस्थित हुआ हैं ऐसी स्थिति में अदम पैरवी में प्रकरण निरस्त नहीं किया जा सकता हैं ।
06. यह कि प्रकरण में उपस्थित होने में जो आधा घण्टा का विलंब हैं वह क्षमा योग्य हैं ।

**:: प्रार्थना ::**

अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना हैं कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने की कृपा करें जो न्यायोचित होगा ।



भोपाल दिनांक-09.05.2019

आवेदकगण  
द्वारा-अधिवक्ता  
सी.एम. विश्वकर्मा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 0592/2019/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अतः आवेदक अभिभाषक के निवेदन पर प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>